आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित
	2	3

आदेश

20/7/17

अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के द्वारा प्रथम अपील में दिनांक–05.05.2017 को पारित आदेश के विरूद्व परिवादी अमीर मंडल, पिता–स्व0 राधे मंडल, ग्राम–केवलडीह, पोस्ट– बांका, अंचल–बांका, जिला–बांका के द्वारा द्वितीय अपील दायर किया गया है जिसका अनन्य संख्या–523110106021701099/2A वर्ष–2017 अमीर मंडल बनाम् कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बांका है।

इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी के पत्रांक–526 दिनांक–13.07.17 एवं पत्रांक–537 दिनांक–19.07.17 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

अपीलार्थी का परिवाद यह है कि निजी जमीन पर निर्मित सरकारी नाला को हटाया जाय। सरकारी राशि का दुरूपयोग व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए किया जा रहा है।

कार्यपालक पदाधिकारी के प्रतिवेदन में यह तथ्य अंकित है कि दिनांक–18.08.17 को अपीलकर्त्ता द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में मुहल्ला–केवलडीह, वार्ड सं0–02 नगर पंचायत, बांका में पी0सी0सी0 सड़क से सटे उत्तर तरफ नवनिर्मित नाला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय कई ग्रामीण उपस्थित थे जिसमें उपस्थित राजेश मंडल एवं अन्य चार सभी मुहल्ला केवलडीह से पुछताछ किया। पी0सी0सी0 सड़क से सटे उत्तर तरफ नाला महेश्वरी मंडल के मकान के आगे दक्षिणी भाग से निकलकर पश्चिम से पूरब तक मकेश्वर मंडल के निज हिस्से जिसमें गन्ना का फसल लगा हुआ पाया के दक्षिण तरफ अरविन्द मंडल के खेत के दक्षिण पी0सी0सी0 सडक के सटे नाला पूरब की ओर बहाया गया है। उपस्थित ग्रामीणों ने जानकारी दी कि अपीलकर्त्ता अमीर मंडल के पिता राधे मंडल स्वयं अंशधारी फरीक गोविन्द मंडल के बीच आपस में पिता काल में ही संम्पूर्ण जमीन का बटवारा हो गया है जो नवनिर्मित नाला के सटे उत्तर तरफ जमीन गोविन्द मंडल के खास हिस्से में पड़ा है तथा गोविन्द मंडल के सटे उत्तर तरफ राधे मंडल के हिस्से में पड़ा है। गोविन्द मंडल की मृत्यु हो चुकी है। गोविन्द मंडल के मृत्युपरांत इनका पुत्र मकेश्वर मंडल का दखल कब्जा पाया तथा नवनिर्मित नाला के सटे उत्तर तरफ मकेश्वर मंडल के द्वारा गन्ना का फसल लगा हुआ पाया गया। इस संबंध में ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि फसल की जमीन के मालिक मकेश्वर मंडल द्वारा लगाया गया है। ग्रामीणों के समक्ष पी0सी0सी0 सड़क के सटे नवनिर्मित नाला सहित पी0सी0सी0 सड़क का फोटोग्राफ लिया गया। नवनिर्मित नाला के निर्माण में अपीलकर्त्ता अमीर मंडल को छोड़कर किसी भी अन्य ग्रामीणों के द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। नवनिर्मित नाला से ग्रामीणों को लाभ प्राप्त हो रहा है तथा दैनिक कार्यो का गंदा जल एवं वर्षा के जल का बहाव भी समुचित ढंग से हो रहा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि नवनिर्मित नाला के पूर्व स्थल पर कच्ची नाला बर्षो से स्थित था। जांच के क्रम में पाया कि नवनिर्मित नाला से सटे से उत्तर बहियार है जो रैयतो की जमीन है। नवनिर्मित नाला से सटे रैयतों के जमीन नाला से लगभग दो फीट नीचे है।

निर्धारित तिथि 20.07.17 को कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बांका के प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी की सविस्तार सुनवाई की गयी तथा 01 घंटे के अन्दर परिवादी के आरोप के आलोक में ग्राम–केवलडीह में निर्माण किये गये नाले की स्वयं जांच अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गयी। जांच के समय परिवादी एवं कार्यपालक पदाधिकारी को मौके पर उपस्थित रहने हेतु कहा गया। अनुपालन में संबंधित के अतिरिक्त ग्रामीण जन भी उपस्थित थे।

जांच के क्रम में सभी उपस्थित ग्रामीणों से स्वतंत्र रूप से परिवादी की उपस्थिति में पुछताछ कर जानकारी ली गयी। एक वयोवृद्ध ग्रामीण से जानकारी लेने पर यह कहा गया कि जहॉ से नाली का पक्कीकरण किया गया है वहॉ से पूर्व से ही कच्चा नाला था जिससे पानी का बहाव हो रहा था। कच्चा नाला रहने से

ग्रमीणों को काफी कठिनाई हो रही थी तथा पक्कीकरण हो जाने से ग्रामीणों की सुविधा बहाल हुई है। वृद्ध व्यक्ति के कथन से उपस्थित सभी ग्रामीणों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी तथा कहा गया कि एक मात्र परिवादी के अड़गा डालने से पूरे गॉव वाले की सुविधा में व्यवधान उत्पन्न हो गया है।

घटनास्थल पर यह पाया गया कि ग्रामीण पी0सी0सी0 सड़क के उत्तर सटे पक्की नाली का निर्माण पश्चिम की ओर से पूरब दिशा की ओर किया गया है जिससे गॉव का व्यवहारयुक्त गंदा पानी व वर्षा के पानी का निकास सुविधाजनक ढंग से हो रहा है। इससे गंदगी का बचाव हो रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यह नाली गॉव से पूरब दिशा की ओर निकलने वाली सडक जो आगे जाकर बांका–अमरपुर मुख्य सड़क पर जाता है नाली को सडक के किनारे–किनारे ही आगे निकाल दिया जायेगा।

परिवादी इस बात पर जोर दे रहे थे कि नाली के निकास का पानी एवं नाली का निर्माण पूरब दिशा के बदले दक्षिण दिशा की ओर निकाला जाना उचित है क्योंकि बगल में ही नदी है तथा पूरब दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ काफी कम लंबाई में नाला का निर्माण किया जा सकता था एवं इससे कम व्यय होता। मौके पर परिवादी द्वारा नाला निकासी हेतु सुझाये गये जमीन के संबंध में जब ग्रामीणों से पुछताछ की गयी तो बताया गया कि परिवादी द्वारा बतायी गयी सभी जमीन रैयती है तथा रैयती जमीन पर नाला बनाया जाना संभव नहीं है। परिवादी से जब पुछा गया कि आपके सुझाव के अनुसार दक्षिण दिशा की ओर रैयती जमीन पर नाला निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है तो परिवादी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।

स्थल जांच पश्चात् परिवादी के आरोप की सम्पुष्टि नहीं हुई ब्लकि कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत के प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों की सम्पुष्टि स्थल जांच से होती है। परिवादी की आपत्ति उचित नहीं है। सभी ग्रामीणों के हित में नाली का निर्माण पाया गया एवं ग्रामीणों द्वारा परिवादी की आपत्ति को वेवजह बताया।

अतः उपर्युक्त के आलोक में अपील को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

20.7.17

जिला पदाधिकारी,
बांका

20.7.17

जिला पदाधिकारी
–सह–
द्वितीय अपीलीय प्राधिकार,
जिला लोक शिकायत निवारण,
बांका।